न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2085–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–5–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला धार के प्रकरण कमांक 19/अ–27/14–15.

.....

गंगाराम पिता स्व0गोपालजी जाति लोधा
निवासी ग्राम तोरनोद तहसील व जिला धार

..... आवेदक

विरूद्ध

1–शोभाराम पिता स्व0गोपालजी जाति लोधा
निवासी 117, 118 बिजासन रोड कॉलोनी नगर इंदौर
2–श्रीमती बालीबाई पिता स्व0गोपाल पति कन्हैयालाल
निवासी ग्राम तोरनोद तहसील व जिला धार
3–राजुलाल पिता गंगाराम
निवासी ग्राम तोरनोद तहसील व जिला धार
4–श्यामुबाई विधवा धुलजी
निवासी ग्राम तोरनोद तहसील व जिला धार
5–जितेन्द्र पिता धुलजी
निवासी ग्राम तोरनोद तहसील व जिला धार
6–धमेन्द्र पिता धुलजी
निवासी ग्राम तोरनोद तहसील व जिला धार
7–रामचन्द्र पिता नंदाजी फौत वारिसान
अ–गब्बु पिता रामचंद्र
निवासी ग्राम तोरनोद तहसील व जिला धार
ब–विष्णु पिता रामचन्द्र
निवासी ग्राम तोरनोद तहसील व जिला धार
8–राधेश्याम पिता नंदा
निवासी ग्राम तोरनोद तहसील व जिला धार
9–अंबाराम पिता गोपालजी
निवासी मल्हारगंज गोराकुंड के पास इंदौर ..... अनावेदकगण

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक
श्रीमती निर्मला यादव, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 21/3/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार धार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत संयुक्त स्वामित्व की ग्राम तोरनोद स्थित भूमि सर्वे कमांक 221, 327, 487, 151, 181, 182/2, 221/1, 327/5, 490 कुल किता 10 कुल रकबा 12.230 हेक्टेयर के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 19/अ–27/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 व आदेश 6 नियम 4 सहपठित धार 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 13–5–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नधीन भूमियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है, अतः जब तक माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम निराकरण नहीं हो जाता तब तक तहसीलदार द्वारा बटवारे की कार्यवाही नहीं की जाकर स्थगित करना चाहिये, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 प्रश्नाधीन भूमियों में अपना हक मांगना चाहता है, जबकि वह बचपन से ही इंदौर में रहकर कारोबार कर रहा है और आवेदक के पिता द्वारा पूर्व में ही उसे हिस्सा दिया जा चुका है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा समय समय पर तहसीलदार के समक्ष

आपत्ति प्रस्तुत कर स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में स्वत्व का निराकरण होना है, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति पर बिना विचार किये प्रकरण में दिन प्रति दिन पेशियॉ नियत कर कार्यवाही की जा रही है जो कि न्यायसंगत कार्यवाही नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय के प्रवर्तन पर रोक लगाई गई है, इसलिये भी तहसील न्यायालय को बटवारे की कार्यवाही स्थगित करना चाहिये थी, जो उनके द्वारा नहीं कर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की जा रही है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियो के बटवारे की कार्यवाही के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रचलित रखने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने हेतु कार्यवाही स्थगित कराना चाहता है, जबकि आवेदक किसी भी समय माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकता है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में बटवारे की कार्यवाही स्थगित करना न्यायसंगत नहीं है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि चॅूकि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है, अतः माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण का अंतिम निराकरण होने तक बटवारे की कार्यवाही स्थगित की जाये । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदक माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने हेतु उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित कराना चाहता है, परन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि

उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । आवेदक कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान किसी भी समय माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु बिना माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का कियान्वयन रोका जाना संभव नहीं है, आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15–4–2014 को देखते हुये वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–5–2015 में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–5–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर